

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी जी,

न्यायालय, रूपनगढ जिला अजमेर

अपीलान्ट – संतोष देवी पत्नि रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी मकराना तहसील
मकराना जिला- डीडवाना-कुचामन राजस्थान

बनाम

रेस्पोडेन्टान्-

- 1- सरपंच , ग्राम पंचायत रूपनगढ जिला अजमेर
- 2- ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रूपनगढ जिला अजमेर
- 3- तहसीलदार साहब, रूपनगढ जिला अजमेर
- 4- नायब तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर
- 5- पटवारी पटवार हल्का रूपनगढ जिला अजमेर
- 6- चन्दादेवी पुत्री कन्हैयालाल पत्नि विष्णु जाति ब्राह्मण निवासी बडी खाटू
तहसील डेगाना जिला- नागौर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बनाराजगी

सरपंच, ग्राम पंचायत रूपनगढ द्वारा नामान्तरकरण सं0 7144 दिनांक

20-07-2023में पारित आदेश के विरुद्ध व स्थाई निषेधाज्ञा

मान्यवर जी,

अपीलान्ट की ओर से निम्नवत अपील पेश है -

1. यह है कि वाकें ग्राम रूपनगढ जिला अजमेर की राजस्व सीमा में स्थित
खसरा नंबर 532, 533, 540, 541 कुल खसरा 4 रकबा 1.6988 हेक्टर
स्थित है। जिसमें जरिये वसियत अपीलान्ट का 1/6 हिस्सा आया हुआ है।

2. यह है कि पेरा नंबर 1 में अक्ति आराजी अपीलान्त का दिनांक 27-01-2019 को निरुष्पादित वसियत नामा जो वसियतकर्ता मनोहर देवी पत्नि स्व० श्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी रूपनगढ जिला अजमेर ने मुझ अपीलान्त के हक में विरासत से प्राप्त 1/6 हिस्सा जो वसियत कर्ता मनोहरी देवी का था उक्त सम्पूर्ण हिस्सा की वसियत मुझ अपीलान्त के पक्ष में बरुबरु मोतविरान निष्पादित कर दी थी वक्त वसियत रेस्पोंडेन्ट नंबर 6 चन्दादेवी भी मौजूद थी उसके भी वसियतनामा पर हस्ताक्षर किये हुये है।
 3. यह है कि रेस्पोंडेन्ट नं० 6 चन्दा देवी को वखूवी जानकारी होते हुये भी बिना किसी विधिक अधिकार के मनोहरीदेवी का नामान्तरण गुपचुप तरीके से नामान्तरकरण संख्या 7144 दिनांक 20-07-2023 को रेस्पोंडेन्ट सं० 1 व 2 से मिलीभगत कर पारित करवा लिया था जो प्रारम्भ से ही शून्य है क्योंकि रेस्पोंडेन्ट नंबर 6 को पता था कि मेरी माता मनोहरी देवी ने दिनांक 27-01-2019 को बगोजूदगी चन्दादेवी वसियत कर दी थी उसी दिन चन्दा देवी का मनोहरीदेवी की सम्पति में कानूनन अधिकार समाप्त हो चुका था। खुद रेस्पोंडेन्ट सं० 6 के संज्ञान में होते हुये भी रेस्पोंडेन्ट सं० 6 चन्दा देवी ने मुझे अपीलान्त को बिना बताये गुपचुप तरीके से उक्त नामान्तरकरण भरवा लिया था उक्त नामान्तरकरण को रेस्पोंडेन्ट सं० 1 व 2 ने बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित कर दिया जो अपीलान्त के हक हिस्से 1/6 तक खारिज किये जाने योग्य है।
 4. यह है कि अपीलान्त ने अपनी वसियत पटवार हल्का रूपनगढ को नामान्तरकरण भरने हेतु कहा तो पटवार हल्का रूपनगढ ने बताया कि इस वक्त मनोहरीदेवी के नाम खसरा नंबर 532, 533, 540, 541 में भूमि नहीं है मनोहरदेवी के हिस्सा का नामान्तरकरण चन्दादेवी ने अपने नाम करवा लिया है तब मैंने नकल लेने पर पता चला कि गुपचुप तरीके से चन्दा देवी ने मेरे हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम करवा लिया है जो विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। नकल दिनांक 23-08-2023 को प्राप्त होने पर अपील अन्दर गयाद पेश है।
-

5. यह है कि अपीलान्त के उक्त आराजियात में 1/3 हिस्से में से 1/6 हिस्सा वसियतकर्ता के हक हिस्से अनुसार नामान्तरकरण सं० 7144 दिनांक 20-7-2023 खारिज किये जाने योग्य है।
6. यह है कि अपीलान्त उक्त आराजी में 1/6 हिस्से की हक हिस्सेदार वसियत अनुसार है इस कारण चन्दा देवी के नाम भरा गया नामान्तरकरण 7144 दिनांक 20-07-2023 खारिज फरमाया जाकर अपीलान्त के नाम विधि अनुसार नामान्तरकरण भरवाने के आदेश करवाने की अपीलान्त अधिकारी है।
7. यह है कि अपील श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है।
8. यह है कि अपील की कोर्ट फीरा नियमानुसार पेश है।
9. यह है कि रैस्पोंडेंट संख्या 3 भूगिचारी होने से रैस्पोंडेंट सं० 4 नायब तहसीलदार उप पंजीयक होने से व रैस्पोंडेंट सं० 4 पटवारी हल्का रिकॉर्ड का संरक्षक व संधारक होने से पक्षकार अपील रैस्पोंडेंट बनाये गये है।

अतः अपील अपीलान्त पेश कर निवेदन है कि पटवारी हल्का रूपनगढ द्वारा भरा गया नामान्तरकरण सं० 7144 दिनांक 13-07-2023 जो सरपंच ग्राम पंचायत रूपनगढ व ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रूपनगढ द्वारा दिनांक 20-07-2023 को स्वीकृत किया गया है जो अपीलान्त की अपील स्वीकार फरमा कर नामान्तरकरण सं० 7144 दिनांक 20-07-2023 खारिज फरमाया जावे। विधि अनुसार अपीलान्त के नाम नामान्तरकरण भरवाने के आदेश फरमावे। रैस्पोंडेंट सं० 1 से 6 को जरिये रथाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमावे कि राजस्व रिकॉर्ड व मोके की यथारिधति बनाये रखे।

दिनांक

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी जी,

न्यायालय, रूपनगढ जिला अजमेर

प्रार्थी - संतोष देवी पत्नि रामनिवास जाति ब्राह्मण निवासी मकराना तहसील
मकराना जिला- डीडवाना-कुचामन राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण -

- 1- सरपंच , ग्राम पंचायत रूपनगढ जिला अजमेर
- 2- ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रूपनगढ जिला अजमेर
- 3- तहसीलदार साहब, रूपनगढ जिला अजमेर
- 4- नायब तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर
- 5- पटवारी पटवार हल्का रूपनगढ जिला अजमेर
- 6- चन्दादेवी पुत्री कन्हैयालाल पत्नि विष्णु जाति ब्राह्मण निवासी बडी खाटू
तहसील डेगाना जिला- नागौर

प्रार्थना पात्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

मान्यवर जी,

प्रार्थी की ओर से निम्नवत प्रार्थना पत्र पेश है -

1. यह है कि प्रार्थी ने मजबूत विनाय पर व ठोस आधारों पर उक्त अनवान की
अपील माननीय न्यायालय में पेश की है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने
की पूरी पूरी संभावना है।
-

2. यह है कि वाके ग्राम रुपनगढ जिला अजमेर की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नंबर 532, 533, 540, 541 कुल खसरा 4 रकबा 1.6988 हेक्टर स्थित है। जिसमें जरिये वसियत प्रार्थी का 1/6 हिस्सा आया हुआ है।
 3. यह है कि पेरा नंबर 1 में अकित आराजी प्रार्थी का दिनांक 27-01-2019 को निरुष्पादित वसियत नामा जो वसियतकर्ता मनोहर देवी पत्नि स्व० श्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी रुपनगढ जिला अजमेर ने मुझ प्रार्थी के हक में विरासत से प्राप्त 1/6 हिस्सा जो वसियत कर्ता मनोहरी देवी का था उक्त सम्पूर्ण हिस्सा की वसियत मुझ प्रार्थी के पक्ष में बरबुरु मोतविरान निष्पादित कर दी थी वक्त वसियत अप्रार्थी नंबर 6 चन्दादेवी भी मौजूद थी उसके भी वसियतनामा पर हस्ताक्षर किये हुये है।
 4. यह है कि अप्रार्थी सं० 6 चन्दा देवी को बखूबी जानकारी होते हुये भी बिना किसी विधिक अधिकार के मनोहरीदेवी का नामान्तरण गुपचुप तरीके से नामान्तरकरण सख्या 7144 दिनांक 20-07-2023 को अप्रार्थी सं० 1 व 2 से मिलीनगत कर पारित करवा लिया था जो प्रारम्भ से ही शून्य है क्योंकि अप्रार्थी नंबर 6 को पता था कि मेरी माता मनोहरी देवी ने दिनांक 27-01-2019 को बमोजूदगी चन्दादेवी वसियत कर दी थी उसी दिन चन्दा देवी का मनोहरीदेवी की सम्पति में कानूनन अधिकार समाप्त हो चुका था। खुद अप्रार्थी सं० 6 के सज्जान में होते हुये भी अप्रार्थी सं० 6 चन्दा देवी ने मुझे प्रार्थी को बिना बताये गुपचुप तरीके से उक्त नामान्तरकरण भरवा लिया था उक्त नामान्तरकरण को अप्रार्थी सं० 1 व 2 ने बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित कर दिया जो प्रार्थी के हक हिस्से 1/6 तक खारिज किये जाने योग्य है।
 5. यह है कि प्रार्थी ने अपनी वसियत पटवार हल्का रुपनगढ को नामान्तरकरण भरने हेतु कहा तो पटवार हल्का रुपनगढ ने बताया कि इस वक्त मनोहरीदेवी के नाम खसरा नंबर 532, 533, 540, 541 में भूमि नहीं है मनोहरदेवी के हिस्सा का नामान्तरकरण चन्दादेवी ने अपने नाम करवा लिया है तब मैंने नकल लेने पर पता चला कि गुपचुप तरीके से चन्दा देवी ने मेरे हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम करवा लिया है जो विधि विरुद्ध
-

होने से खारिज किये जाने योग्य है। नकल दिनांक 23-08-2023 को प्राप्त होने पर अपील अन्दर मयाद पेश है।

6. यह है कि प्रार्थी के उक्त आराजियात में 1/3 हिस्से में से 1/6 हिस्सा वसियतकर्ता के हक हिस्से अनुसार नामान्तरकरण सं० 7144 दिनांक 20-7-2023 खारिज किये जाने योग्य है।
7. यह है कि प्रार्थी उक्त आराजी में 1/6 हिस्से की हक हिस्सेदार वसियत अनुसार है इस कारण चन्दा देवी के नाम भरा गया नामान्तरकरण 7144 दिनांक 20-07-2023 खारिज फरमाया जाकर प्रार्थी के नाम विधि अनुसार नामान्तरकरण भरवाने के आदेश करवाने की प्रार्थी अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा रूपनगढ़ के खसरा नंबर 532, 533, 540, 541 में गलत नामान्तरकरण के आधार पर अप्रार्थी सं० 6 उक्त आराजी के बेचान रहन, बगसीस या अन्य प्रकार का हस्तान्तरण नहीं करे अगर किसी भी प्रकार का दस्तावेज अप्रार्थी सं० 3 व 4 के समक्ष पेश होने पर पंजीयन नहीं करे अप्रार्थीगण मोके व रेकर्ड की यथार्थिति बनाई रखे।

दिनांक

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी जी,

न्यायाल, रुपनगढ

प्रार्थी

अप्रार्थीगण

सन्तोषदेवी

वनाम

सरपंच, ग्राम पंचायत रुपनगढ

वगेरह

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

शपथ - पत्र

मैं सन्तोष देवी पत्नि रागनियास जाति ब्राह्मण उम्र 51 वर्ष निवासी मकराना तहसील मकराना जिला डीडवाना- कुचामन राजस्थान शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि -

1- मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि सलग्न प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के पेरा सं० 1 से 7 मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य है।

2- मैं शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि इस शपथ पत्र को प्रार्थना पत्र का ही भाग समझा जावे।

दिनांक

तस्दीक

मैं सन्तोषदेवी सशपथ तस्दीक करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की तमाम इबारत मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य है इसमें कुछ भी असत्य नहीं है ना छिपाया है ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक